न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी

सत्र परीक्षण सं० 125/2021
राज्य – बनाम – कृष्ण देव उर्फ देवा आदि

आदेश

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने उन तथ्यों एवं साक्ष्यों का उल्लेख किया जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध कथित अभियोग सावित किया जाना है। इस सन्दर्भ में अभियुक्तगण को व्यक्तिगत रूप से सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मेरे विचार से अभियुक्तगण कृष्णदेव उर्फ देवा, पवन यादव, हृदेश उर्फ खेरा व बन्टू के विरूद्ध धारा 147, 148, 149, 307 भा.दं.सं. के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया अपराध बनता है। तदनुसार उनके विरूद्ध उक्त अभियोग के अन्तर्गत आरोप र्निमित किये जाये।

दिनॉक : 19.11.2021

(अनिल कुमार–X)
सत्र न्यायाधीश,
मैनपुरी

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी

सत्र परीक्षण सं० 125/2021

राज्य – बनाम – कृष्ण देव उर्फ देवा आदि

आरोप

मैं, अनिल कुमार–X, सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी आप अभियुक्तगण कृष्णदेव उर्फ देवा, पवन यादव, हृदेश उर्फ खेरा व बन्टू को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ कि :–

1– यह कि दिनाँक 28.11.2015 समय 9.00 बजे वस्थान सुल्तानगंज वहद थाना बिछवाँ जिला मैनपुरी में आपने अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा सुधा देवी के पक्ष के लोगों को मारपीट करने के आशय से विधि विरूद्ध जमाव कर अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल व हिंसा का प्रयोग किया। इसप्रकार आपने भा०दं०सं० की धारा 147 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनाँक समय व स्थान पर आपने अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा सुधा देवी के पक्ष के लोगों को मारपीट करने के आशय से घातक आयुधों से सज्जित होकर वल्वा किया। इसप्रकार आपने भा०दं०सं० की धारा 148 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय वस्थान पर आपने अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में विधि विरूद्ध जमाव कर वादिनी मुकदमा सुधा देवी के पुत्र सौरव, प्रवेश कुमार, रघुवीर सिंह, मुंशीलाल व शवलेश को जान से मारने की नियत से असलाहों से फायर कर उनके आग्नेयास्त्र की चोट पहुँचायी, आपके उक्त कार्य द्वारा यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी होते। इसप्रकार आपने भा०दं०सं० की धारा 307 सपठित धारा 149 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोपित अपराध में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनॉक : 19.11.2021

(अनिल कुमार–X)
सत्र न्यायाधीश,
मैनपुरी

आरोप उपरोक्त अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया तथा विचारण की मॉग की।

दिनॉक : 19.11.2021

(अनिल कुमार–X)
सत्र न्यायाधीश,
मैनपुरी